

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.स्था.2/691/2021/ 6144

भोपाल, दिनांक 24/3/22

// आदेश //

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 24.6.2021 को जारी किया गया। इस क्रम में जारी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर गृह विज्ञान में उनके नाम के समक्ष अंकित विधालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

1	PALLAVI SAXENA	C/O MUKESH MEHTA SADAR BAZAAR SCHOOL KE PASS NEW BLOCK SHIVPURI SHIVPURI SVP MADHYA PRADESH 473551	74538523	32	EWS	EWS/X/F	HSS GIRLS OON	Khargone
2	PRIYANKA ASTHANA	5/15 BAIRICK QUARTER THATIPUR GWALIOR GWL MADHYA PRADESH 474011	74651601	194	SC	SC/X/OP	GIRLS HSS RAJGARH	Dhar
3	POOJA SARAIYA	262 GARHA ROAD SARAIYA SADAN JABALPUR JBP MADHYA PRADESH 482002	74629526	9	UR	UR/X/OP	GGIRIS HSS GHANSORE	Seoni
4	NEHA KAMDE	WARD NO 08 TALAB TOLA NAINPUR NAINPUR MDL MADHYA PRADESH 481776	74533074	375	SC	GFSC/X/OP	GOVT. Girls H.S.S.Nainpur	Mandla
5	USHA BANERJEE	B 23 SHRI BALAJIPURAM COLONY VIDISHA VIDISHA VID MADHYA PRADESH 464001	74647458	57	UR	GFUR/X/F	HSS Girls Barwani,23280309699	Barwani

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2(छठवां वेतनमान 9300-34800+3600 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-9 में तत्स्थानी वेतनमान 36200-114800 के न्यूनतम वेतन रुपये 36200/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक (व) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायफण्ड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश राज्य जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधित नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9 /3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य/जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। जिसकी सूची निम्नानुसार है :-

1. नियुक्ति आदेश।
2. 6 पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेलएड्रेस।

3. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यूएस)।
4. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
5. निःशक्ता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र—न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)।
6. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)।
7. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (एन.ओ.सी) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
8. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
9. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
10. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-1)

7/ संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

9/ परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए परीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जायेगी।

11/ संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

**विशेष टीप:-** यदि चरित्र/जाति/निःशक्ता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(संजीव सिंह)

आयुक्त

जनजातीय कार्य

मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/शि.स्था.2/691/2021/

6145

प्रतिलिपि:-


भोपाल, दिनांक

24/3/22

1. विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश
6. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
9. समस्त सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य/जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
10. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।



11. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य/जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास म.प्र. को अपनी उपस्थिति देवें।

  
आयुक्त  
जनजातीय कार्य  
मध्यप्रदेश.  
५